न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर

गुडामालानी–बाडमेर

उनवानः **चुन्नीदेवी बनाम केलीदेवी** — प्रा0पत्रसं0 197 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **आदेशिका** (अन्तर्गत धारा–212 आर0टी0एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
05.08.2024	विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 आर0टी0एक्ट–1955 का प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल **खसरा संख्या 364 / 88 / 53.7017 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 537017** वाके ग्राम राणासर खुर्द तहसील नौखडा जिला बाडमेर में स्थित है। उक्त आराजी उभय पक्षकारान की पैतृक खातेदारी आराजी है। उक्त पैतृक खातेदारी आराजी में प्रार्थी ने हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद न्यायालय में पेश किया है। **अप्रार्थीगण उक्त मुतनाजा आराजी का बैचान करने पर आमादा है।** अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं वर्षो से उपजाउ बनाई भूमि व कब्जा काश्त की भूमि का बैचान करने में कामयाब होता है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को प्रार्थी के घोषणा के दावें के निस्तारण तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जावे। प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की अंतरिम बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को मात्र दौहराया हुऐ प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। तत्पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर जॉचना आवश्यक है:– *(अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व / कब्जा होना आवश्यक है।* *(ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।* *(स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है, तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना संभावित है।* प्रकरण में प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड बयनामा प्रस्तुत किया जिससे प्रार्थी का हक प्रथमदृष्टया प्रमाणित है एवं सैद्धान्तिक रूप से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की होने के कारण प्रथमदृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। साथ ही मुताबिक प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र अप्रार्थीगण उक्त आराजी उभय पक्षकारान की पैतृक खातेदारी आराजी है। उक्त पैतृक खातेदारी आराजी में प्रार्थी ने हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद न्यायालय में पेश किया है। **अप्रार्थीगण उक्त मुतनाजा आराजी का बैचान करता है** तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ–पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात् पर विश्वास करते हुए अप्रा[illegible] तक प्रार्थी के हिस्से की सीमा तक पैतृक आराजी हाल [illegible] **364 / 88 / 53.7017 है0 कुल किता 01** [illegible] राणासर खुर्द तहसील नौखडा जिला बा[illegible] *जरिये अन्तरिम* [illegible] *निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि* [illegible] *जवाब प्रस्तुत करने तक प्रार्थी के हिस्से* [illegible] ***बनाये रखें।*** अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो कि क्यों नही उक्त अंतरिम आदेश को ताफैसल करते हुऐ अस्थाई निषेधाज्ञा पुष्ट की जावें एवं इस संबंध में कोई उज्र–एतरात हो तो दिनांक 02.09.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करे। सहायक कलक्टर गुडामालानी सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena

Date: 2025.10.10 12:18:49 IST

Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर SDO गुडामालानी

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम–गुड़ामालानी

चुन्नी देवी	बनाम	केली देवी	
जीसीएमएस संख्या	2024/322	किस्म मुकदमा	212

तारीख हुक्म	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
21/8/24	पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली आज पेशी पर लिगई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश विड्रो करने आवेदन हेतु निवेदन किया। आवेदन विड्रो किया जाता है। पत्रावली नम्बर कम होकर दाखिल दफ्तर होकर रिकार्ड में शुमार हो। [signature] सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	[illegible signature] (हरीराम विश्नोई) अमरे [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 12:18:49 IST
Reason: SelfAttested